UPSB040040632020

न्यायालय Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी- (Sri Achal Pratap Singh)**, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) - UP01966**

वाद संख्या–2187 / 2020

राज्य बनाम राजेन्द्र प्रसाद

धारा–5 / 26, 41 / 42 भारतीय वन अधिनियम

थाना–चोपन, सोनभद्र

15.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अशोक कुमार मिश्र मय अधिवक्ता उपस्थित आया। अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त को यह बताया गया कि वह अपराध की संस्वीकृति करने को बाध्य नहीं है और उसे संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। इसके बावजूद अभियुक्त अपराध की संस्वीकृति करने को तैयार रहा।

अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल करने के आधार पर धारा–5 / 26, 41 / 42 भारतीय वन अधिनियम में दोषी पाया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त द्वारा अभिकथन किया गया कि वह गरीब व्यक्ति है। वह भविष्य में ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। चूंकि अभियुक्त द्वारा स्वयं जुर्म इकबाल किया गया है, जो उसके अंदर के अपराधिक मानस के सुधार का परिचायक है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय की राय में को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त अशोक कुमार मिश्र को धारा–5 / 26, 41 / 42 भारतीय वन अधिनियम को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा–5 / 26, 41 / 42 भारतीय वन अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए आरोप धारा–5 / 26 भारतीय वन अधिनियम में मु.–500 / –रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे सात दिन का कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त अशोक कुमार मिश्र को आरोप धारा–41 / 42 भारतीय वन अधिनियम में मु.–500 / –रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर सात दिन का कारावास भुगतना होगा।

शेष अभियुक्तगण की पत्रावली पूर्ववत् चलेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र